न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग).
सेशन प्रकरण संख्या	–	58/2021.
सी.आई.एस. नंबर	–	35/2021.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	342/2020 पुलिस थाना भिनाय.
सी.एन.आर. नंबर	–	आर.जे.ए.जे.130008102021.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

1. भागचन्द पुत्र तेजूराम आयु 27 वर्ष **(फौत).**
2. महावीर पुत्र स्वर्गीय गोपाल आयु 32 वर्ष.
   निवासीगण ग्राम राममालिया, पुलिस थाना भिनाय, जिला–अजमेर (राज.).

.. अभियुक्तगण.

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 307, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. श्री मोहिन्दर कुमार जोशी, अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य
2. श्री मनोज आहूजा व श्री भैरूसिंह राठौड़, अधिवक्ता अभियुक्तगण.

––––––

– **नि र्ण य** – **दिनांकः 29 जून 2026.**

01– प्रकरण में अभियुक्त भागचन्द के फौत हो जाने से शेष अभियुक्त महावीर के विरूद्ध ही प्रकरण निस्तारित किया जा रहा है।

02– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 26–11–2020 को परिवादी रूपलाल ने पुलिस थाना भिनाय पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25–11–2020 को रात 9.00 बजे करीबन उसका सगा छोटा भाई कानाराम ग्राम निमेड़ा, तहसील व पुलिस थाना भिनाय, जिला–अजमेर में रिश्तेदार की शादी में खाना खाने गया हुआ था। भागचन्द पुत्र तेजू व महावीर पुत्र गोपाल ने जानबूझकर एकराय होकर राह चलते उसके छोटे भाई कानाराम के साथ गाली–गलौच कर उसके साथ धक्का–मुक्की कर जान से मारने की नीयत से लातों–घूंसों व लक़डियों से अचानक ताबड़तोड़ हमला कर मारपीट करने लग गए। उसका भाई कानाराम चिल्लाया तो परिवार, समाज, गांव के मौतबीर व्यक्तियों

ने भागकर उसके छोटे भाई का बीच–बचाव कराया, अन्यथा उसे जान से मार देते। उसके भाई कानाराम के पूरे शरीर पर लात–घूंसों, लकड़ियों के चोटों के मार के नील के निशान जमे हुए हैं तथा सूजन है। उसके भाई को उसी समय परिवार व समाज के सदस्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिनाय उपचार के लिए लेकर गए, जहां से उसकी हालत नाजुक होने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रैफर कर दिया। उसके भाई के उपचार में व्यस्त रहने के कारण वह रात को रिपोर्ट कराने नहीं आ सका, आदि।

03– उक्त के आधार पर पुलिस थाना भिनाय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–342/2020 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 34 भा.दं.सं. व में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण भागचन्द व महावीर के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 307, 504, 34 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–दो, केकड़ी, जिला–अजमेर के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–दो केकड़ी द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 307 भा.दं.सं. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

04– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325, 307, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

05– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नाकिंत साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	बाबूलाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-02	खेतूराम	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-03	कानाराम	मजरूब, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-04	रूपलाल	परिवादी, नक्शा–मौका घटना स्थल, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-05	रामस्वरूप	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-06	कैलाश	नक्शा–मौका घटनास्थल, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-07	डॉ. अनिल मीणा	चिकित्सक गवाह.
PW-08	डॉ. मुंशीलाल मीणा	चिकित्सक गवाह.

06– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाएः–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–02	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–03	फर्द नक्श–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–04	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. रूपलाल.
प्रदर्श पी–05	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. रामस्वरूप.
प्रदर्श पी–06	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. कैलाश.
प्रदर्श पी–07	चोट प्रतिवेदन कानाराम.
प्रदर्श पी–08	आहत की चोटों बाबत् राय हेतु प्रार्थना पत्र.
प्रदर्श पी–09	मेडिकल ज्यूरिष्ट की एक्सरे हेतु राय.
प्रदर्श पी–10	पी.एम.ओ. केकड़ी से रेडियोलोजिस्ट की राय हेतु तहरीर.
प्रदर्श पी–11	एक्सरे रिक्विजिशन फॉर्म.
प्रदर्श पी–12 से 18	एक्सरे फिल्म.

07– **दौराने विचारण अभियुक्त भागचन्द की मृत्यु हो जाने से दिनांक 01–10–2024 को अभियुक्त भागचन्द के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की गई।**

08– अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्त महावीर से लिया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया एवं कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

09– बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस **विद्वान अपर लोक अभियोजक** ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों ने घटना की ताईद की। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

10– दौराने बहस **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महावीर** की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह के द्वारा अभियुक्त ने आहत के चोटें मारी हो, इस संबंध में साक्ष्य नहीं दी है। गवाहान के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्त ने परिवादी के विरूद्ध क्रोस एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, जिससे बचने के लिए परिवादी ने अभियुक्त ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

11– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. आया अभियुक्त महावीर ने दिनांक 25–11–2020 को समय 9.0 प.एम. या उसके लगभग ग्राम निमेड़ा, पुलिस थाना भिनाय पर परिवादी रूपलाल के भाई आहत कानाराम के साथ गाली–गलौच कर उसे अपमानित करते हुए उसका सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंदाला हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गम्भीर उपहति कारित की तथा उसकी कानाराम की हत्या कारित करने का आशय/ज्ञान रखते हुए लकड़ी से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कारित करने का प्रयास किया ?

2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

12– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को साबित करने के लिए कुल 08 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई है, जिनमें से **गवाह पी.ड.–1 बाबूलाल** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25–11–2020 को उसके रिश्तेदार रामस्वरूप जाट के लड़के की बारात में वह ग्राम निमेड़ा गया था। बारात में आए लोग खाना खाने के बाद बाहर खड़े थे, तभी समय 9.30 पी.एम. पर तालाब की पाल के पास लड़ाई–झगड़े की आवाज सुनकर खेतूराम, शौकीन, रूपलाल, शांतिलाल तालाब के पास गए, जहां पर कानाराम के साथ महावीर जाट व भागचन्द लात–घूंसों व लकड़ी से मारपीट कर रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बीच–बचाव कराया। कानाराम के सिर में चोट लगी थी, जिसे भिनाय अस्पताल लेकर गए तथा उसके सिर में चोट ज्यादा होने से वहां से उसे अजमेर अस्पताल रैफर कर दिया।

13– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि कानाराम मेरा भाईबंध लगता है तथा मुलजिमान मेरे रिश्तेदार हैं। इस मामले में भागचन्द ने कानाराम व रूपलाल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यह सही है कि पूरणमल की बारात में नीमेड़ा गए थे, वहां झगड़ा हुआ था तथा परिवादी व मुलजिमान के बीच बोलचाल करते समय अचानक झगड़ा हुआ तथा उसी दौरान परिवादी कानाराम व मुलजिमान के मध्य धक्का–मुक्की हुई व चोटें आई। यह सही हैकि भागचन्द व महावीर ने परिवादी कानाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसीलिए कानाराम के भाई रूपलाल ने अभियुक्तगणके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान दे रहा हूं।

14– **गवाह पी.ड.–2 खेतूराम** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से लगभग 05 साल पहले रात्रि 09 बजे गांव निमेड़ा की घटना है। वह राममालिया से निमेड़ा रिश्तेार भोलूजी की लड़की की बारात में गया था। वे सभी लोग वहां खाना खा रहे थे। करीबन 9–9.15 बजे भागचन्द व महावीर आए, जिन्होंने शराब पी रखी थी तथा महावीर ने काना जाट के सिर पर लाठी से मारी, जिससे खून आने लगे। वह, बाबूलाल, रूपलाल आवाज सुनकर गए तथा बीच–बचाव किया। महावीर ने कहा कि काना के मामा ने शादी में बारात को शराब नहीं पिलाई, जिस कारण नाराज होकर महावीर ने काना के लाठी से मारी।

15– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि कानाराम मेरा भांजा तथा तथा मुलजिमान मेरे रिश्तेदार हैं। यह सही है कि पूरणमल की बारात में नीमेड़ा गए थे, वहां

झगड़ा हुआ था तथा परिवादी व मुलजिमान के बीच बोलचाल करते समय अचानक झगड़ा हुआ तथा उसी दौरान परिवादी कानाराम व मुलजिमान के मध्य धक्का–मुक्की हुई व चोटें आई। इस मामले में भागचन्द ने कानाराम व रूपलाल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यह सही है कि भागचन्द व महावीर ने परिवादी कानाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसीलिए कानाराम के भाई रूपलाल ने अभियुक्तगणके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान दे रहा हूं।

16– **गवाह पी.ड.–3 कानाराम** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25–11–2025 को वह उसके मामा रामस्वरूप के लड़के पूरण की बारात में गांव निमेड़ा गया था। वह खाना खाकर तालाब की पाल पर बाथरूम करने गया था तब वहां भागचन्द व महावीर पहले से खड़े थे, जिन्होंने उससे कहा कि तेरे मामा के लड़के की शादी में आए हैं तो शराब नहीं पिलाएगा क्या ? उसने कहा कि वह शराब पिलाने थोड़ी आया है तो उसके साथ भागचन्द और महावीर ने मारपीट कर दी। उन्होंने उसके साथ हाथ, पैरों पर लात–घूंसों से तथा उसके सिर पर भागचन्द व महावर ने लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई और खून बहने लगा। उसके भाई रूपलाल, बाबूलाल व अन्य लोगों ने आकर बीच–बचाव कर उसे छुड़ाया। महावीर और भागचन्द वहां से भाग गए। उसे भिनाय अस्पताल लेकर गए तथा उसका मेडिकल हुआ था। उसके ज्यादा चोटें होने से उसे अजमेर अस्पताल रैफर कर दिया। उसके सिर में 4–5 टांके आए तथा अजमेर अस्पताल में 03 दिन भर्ती रहा।

17– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि इस मामले में भागचन्द ने मेरे व रूपलाल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तथा हम दोनों के खिलाफ धारा 323, 341 में चालान पेश हुआ था, जिसमें हमने जुर्म स्वीकार किया था। यह सही हैकि हम पूरणमल की बारात में निमेड़ा गए थे, जहां झगड़ा हुआ था। हमारे व मुलजिमान के बीच बोलचाल करते समय अचानक से झगड़ा हुआ, उसी दौरान मेरे व मुलजिमान में धक्का–मुक्की हुई थी तथा चोटें आई थी, उस समय मेरे व मुलजिमान के अलावा मौके पर कोई नहीं था। यह भी सही है कि लड़ाई के दौरान मैं गिर गया था, जिससे मेरे सिर में चोट लगी थी तथा बेहोश हो गया था तथा बाद में अस्पताल में होश आया था। यह सही है कि रूपलाल मेरा सगा भाई है तथा होश आने के बाद मैंने घटना के बारे में रूपलाल को बताया था तथा रूपलाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुझसे पुलिस ने अलग से कोई पूछताछ नहीं की। यह सही है कि भागचन्द व महावीर ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसीलिए उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है। यह कहना गलत हैकि मैं आज झूठे बयान दे रहा हूं।

18– **गवाह पी.ड.–4 रूपलाल** ने साक्ष्य दी है कि आज से करीबन 4–5 साल पहले की घटना है, उसने सुना था कि कानाराम व भागचन्द के मध्य लड़ाई–झगड़ा हुआ था। मैं मौके पर नहीं था तथा लोगों ने बताया, जिस पर उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो प्रदर्श पी–1 है। फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। **अपर लोक**

अभियोजक की जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 का ए से बी भाग ''मैं ग्राम पिलोदा......मारपीट की हो'', पुलिस को नहीं दिया। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही हैकि मैंने लोगों के बताए अनुसार ही एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–1 दर्ज करवाई थी। मेरे सामने पुलिस वालों ने नक्शा–मौका नहीं देखा तथा उसने नक्शा–मौका प्रदर्श पी–3 पर थाने पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई के कहां–कहां चोटें आई थी।

19– **गवाह पी.ड.–5 रामस्वरूप** ने साक्ष्य दी है कि आज से करीबन 4–5 साल पहले की बात है। उसने सुना कि महावीर ने शराब पीकर कानाराम के साथ मारपीट की थी। मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा वह मौके पर नहीं गया। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी भाग ''ग्राम राममालिया......जान से मार देते'', पुलिस को नहीं दिया। यह कहना गलत हैकि मैं मुलजिम को जानता हूं तथा उसको बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि मुलजिम का परिवादी से राजीनामा हो गया हो। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही हैकि मैंने न तो घटना देखी, न ही मैंने पुलिसको कोई बयान दिए।

20– **गवाह पी.ड.–6 कैलाश** ने साक्ष्य दी है कि वह खेती का कार्य करता है। आज से करीबन 4–5 साल पहले की बात है। उसने सुना कि महावीर ने शराब पीकर कानाराम के साथ मारपीट की थी। मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा वह मौके पर नहीं गया। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी भाग ''ग्राम राममालिया......जान से मार देते'', पुलिस को नहीं दिया। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिम को जानता हूं तथा उसको बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि मुलजिम का परिवादी से राजीनामा हो गया हो। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मैंने कोई घटना नहीं देखी, न ही मैंने पुलिस को कोई बयान दिए। मैं नक्शा–मौका में नहीं समझता हूं, न ही बता सकता हूं कि घटना कहां पर हुई। मैंने तो पुलिस वालों के कहने पर खाली कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

21– **गवाह पी.ड.–7 डा. अनिल कुमार मीणा** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 05–12–2021 को वह सी.एच.सी. भिनाय पर चिकित्साधिकारी कार्यरत था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर कानाराम पुत्र रामस्वरूप की चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया, जिनके सिर पर बांयी ओर दर्द होना बता रहा था तथा सूजन थी, जिसके एक्सरे करवाया गया। बाद एक्सरे रेडियोलोजिस्ट की राय ली गई। चोट की अवधि 10–11 दिन के मध्य की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 पर उसके हस्ताक्षर तथा एक्सरे की राय है। थानाधिकारी भिनाय के द्वारा कानाराम की चोट की जानकारी के संबंध में राय हेतु तहरीर प्रदर्श पी–8 दी तथा बाद रेडियोलोजिस्ट ओपीनियन चोट संख्या–1 गम्भीर प्रकृति की पाई। प्रदर्श पी–9 एम.ओ. ब्यावर की मेडिकल ज्यूरिष्ट व एक्सरे राय हेतु

तहरीर है। प्रदर्श पी–10 पी.एम.ओ. केकड़ी से रेडियोलोजिस्ट एम.डी./डी.एम.आर.डी. हेतु तहरीर है। केकड़ी रेडियोलोजिस्ट ने एक्सरे के बाद राय दी कि कानाराम के सिर पर बांयी ओर हड्डी में फ्रेक्चर है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे रिक्विजिशन फार्म प्रदर्श पी–11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। कानाराम की एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–12 लगायत पी–18 हैं, जिन पर कानाराम का नाम अंकित है।

22– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि तहरीर प्रदर्श पी–10 जो पी.एम.ओ. केकड़ी को भेजी गई थी, उस पर सी से डी राय में सिर के बांयी ओर हड्डी का फ्रेक्चर होने का अंकन है। यह सही है कि तहरीर प्रदर्श पी–10 के नीचे रेडियोलोजिस्ट की सील अंकित नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि चिकित्साधिकारी की सील है तथा मेरे एक्सरे फिल्म प्रदर्श पी–12 व 13 पर हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–8 में जो रेडियोलोजिस्ट की राय है, उसी आधार पर मैंने राय दी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 में चोट की अवधि 10 से 11 दिन होना मजरूब से पूछकर लिखा है।

23– **गवाह पी.ड.–8 डा. मुंशीलाल मीणा** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 29–01–2021 को वह राजकीय जिला चिकित्सालय, केकड़ी में रेडियोलोजिस्ट कार्यरत था। उस दिन मेडिकल ज्यूरिष्ट भिनाय के डाक्टर अनिल मीणा के प्रतिवेदन पर मजरूब कानाराम के सिर पर आई चोटों का एक्सरे उसकी उपस्थिति में करवाया गया। उसने उक्त एक्सरे प्लेट्स को देखर रिपोर्ट तैयार की। डा. अनिल मीणा के पी.एम.ओ. केकड़ी को रेडियोलोजिस्ट की राय बाबत् दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–10 है, जिस पर उसकी राय व हस्ताक्षर हैं। उसकी राय के अनुसार मजरूब के सिर के बांई तरफ टेम्पोर एवं पेराईटल में अस्थिभंग पाया गया। एम.एल.सी. एक्सरे रिक्विजिशन फार्म प्रदर्श पी–11 है, मजरूब की एक्सरे प्लेट्स प्रदर्श पी–12 व पी–13 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

24– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैंने मजरूब का ईलाज नहीं किया था तथा मैं नहीं बता सकता कि मैंने जिस चोट के बारे में राय दी है, वह चोट प्रतिवेदन के अनुसार कौनसे नंबर की चोट है। मैंने जिस चोट के संबंध में राय दी है, वह कितने समय में ठीक होने की संभावना है, नहीं बता सकता, तथा उक्त चोट कोई व्यक्ति सिर के बल खुरदरे धरातल पर गिरे तो आना सम्भव है, गवाह ने फिर कहा कि मेडिकल ज्यूरिष्ट बता सकता है।

25– उपरोक्त समस्त साक्ष्य पर एकसाथ विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 बाबूलाल व गवाह पी.ड.–2 खेतूराम** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि महावीर व भागचन्द ने कानाराम के साथ लात–घूंसों व लाठी से मारपीट की थी तथा कानाराम के सिर पर चोट आई थी। **गवाह पी.ड.–4 रूपलाल** एफ.आई.आरकर्ता है, जिसे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 को नहीं देना बताया है। **गवाह पी.ड.–5 रामस्वरूप, पी.ड.–6 कैलाश** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उन्होंने सुना था कि महावीर ने शराब पीकर कानाराम के साथ मारपीट की थी तथा वे मौके पर नहीं थे। यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा गवाहान ने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–5 व पी–6 को पूर्णतः नकारा है तथा

अभियोजनकी कहानी का समर्थन नहीं किया है।

26– **गवाह पी.ड.–3 कानाराम** जो कि आहत है, के बयान महत्वपूर्ण हैं। गवाह के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि भागचन्द व महावीर ने उसके साथ लात–घूंसों से मारपीट की तथा सिर पर लाठी से वार किया था, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी तथा वह तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहा था। हालांकि बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया हैकि यह सही है कि हमारे व मुलजिमान के मध्य बोलचाल करते समय झगड़ा हुआ था, उसी दौरान धक्का–मुक्की हुई, जिससे चोटें आई थी। आहत के शरीर पर आई चोटों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्षी गवाह पी.ड.–7 डाक्टर अनिल मीणा के बयानों से हो रही है। अभियुक्त के द्वारा आहत कानाराम के साथ मारपीट नहीं की गई हो, इसका खण्डन बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त महावीर के विरूद्ध धारा 323/34, 341/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में सफल रहा है।

27– जहां तक अभियुक्त महावीर के विरूद्ध **धारा 325/34 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है तो **गवाह पी.ड.–3 कानाराम** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि भागचन्द व महावीर ने उसके साथ लात–घूंसों से मारपीट की तथा सिर पर लाठी से वार किया था, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी तथा वह तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहा था। **गवाह पी.ड.–7 डा. अनिल मीणा** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि आहत कानाराम की चोटों का परीक्षण किया था तथा उसके सिर पर बांयी ओर दर्द होना तथा सूजन थी तथा चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे करवाया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर तथा सी से डी उसकी राय है तथा बाद एक्सरे रेडियोलोजिस्ट के द्वारा राय दी गई कि चोट गम्भीर प्रकृति की है तथा रेडियोलोजिस्ट की राय के अनुसार कानाराम के सिर पर बांयी ओर हड्डी का फ्रेक्चर था। **गवाह पी.ड.–8 डा. मुंशीलाल मीणा** के द्वारा आहत कानाराम का एक्सरे लिया गया था तथा उसकी राय अनुसार मजरूब के सिर के बांयी तरफ टेम्पोरल एवं पैराईटल भाग पर अस्थिभंग पाया गया था। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–8 लगायत पी–11 से भी आहत के सिर में अस्थिभंग होना प्रमाणित है। **गवाह पी.ड.–3 कानाराम** जो कि आहत है, के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ सिर पर लाठी से मारपीट की थी, जिससे सिर में चोट आई थी तथा उसकी हालत खराब होने से उसे अजमेर अस्पताल रैफर किया गया था, जहां वह अस्पताल में भर्ती रहा था। बचाव पक्ष के द्वारा चिकित्साधिकारी गवाह पी.ड.–7 डा. अनिल मीणा व पी.ड.–8 डा. मुंशीलाल मीणा से चोटों के संबंध में कोई तात्विक जिरह नहीं की गई है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 325/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में सफल रहा है।

28– जहां तक अभियुक्त महावीर के विरूद्ध **धारा 504/34 भा.दं.सं.** का प्रश्न है, तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह के द्वारा साक्ष्य नहीं दी गई है कि अभियुक्त ने परिवादी रूपलाल के भाई कानाराम के साथ लोक शांति भंग कर गाली–गलौच कर उसे अपमानित करते हुए उसके साथ मारपीट की हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 504/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा

है।

29– जहां तक अभियुक्त महावीर के विरूद्ध **धारा 307/34 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अभियुक्त ने आहत कानाराम के साथ उसकी हत्या कारित करने का आशय या ज्ञान रखते हुए लकड़ी से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कारित करने का प्रयास किया हो। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है, उस पर विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 बाबूलाल व गवाह पी.ड.–2 खेतूराम** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि महावीर व भागचन्द ने कानाराम के साथ लात–घूंसों व लाठी से मारपीट की थी तथा कानाराम के सिर पर चोट आई थी। **गवाह पी.ड.–4 रूपलाल** एफ.आई.आरकर्ता है, जिसे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 को नहीं देना बताया है। **गवाह पी.ड.–5 रामस्वरूप, पी.ड.–6 कैलाश** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उन्होंने सुना था कि महावीर ने शराब पीकर कानाराम के साथ मारपीट की थी तथा वे मौके पर नहीं थे। यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा गवाहान ने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–5 व पी–6 को पूर्णतः नकारा है तथा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

30– **गवाह पी.ड.–3 कानाराम** जो कि आहत है, के बयान महत्वपूर्ण हैं। गवाह के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि भागचन्द व महावीर ने उसके साथ लात–घूंसों से मारपीट की तथा सिर पर लाठी से वार किया था, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी तथा वह तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहा था। हालांकि बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया हैकि यह सही है कि हमारे व मुलजिमान के मध्य बोलचाल करते समय झगड़ा हुआ था, उसी दौरान धक्का–मुक्की हुई, जिससे चोटें आई थी।

31– आहत कानाराम की हालत गम्भीर होने पर उसे जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर रैफर किया गया था, जहां पर आहत अस्पताल में भर्ती रहा था। **गवाह पी.ड.–8 डा. मुंशीलाल** के द्वारा आहत कानाराम की चोट प्राणघातक होना बताया है, जिसका समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–8 लगायत पी–10 से हो रहा है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अपर लोक अभियोजक के द्वारा आहत कानाराम की जे.एल.एन. अस्पताल में भर्ती रहा, के संबंध में भर्ती एवं डिस्चार्ज टिकिट व चिकित्सीय दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। अभियुक्त महावीर के द्वारा आहत कानाराम के सिर पर लाठी से वार किया है। अभियुक्त का आशय यदि आहत को जान से मारने का होता तो अभियुक्त के द्वारा आहत के सिर या अन्य शरीर के अन्य भागों पर एक से अधिक बार वार किए जाते। इसके अतिरिक्त स्वयं आहत कानाराम ने बचाव पक्ष की जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके व मुलजिमान के मध्य बोलचाल करते समय अचानक से झगड़ा हुआ, उस दौरान धक्का–मुक्की हुई तथा चोटें आई। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि सुयोग्य अनुसंधान अधिकारी श्रीमती नीतू राठौड़ के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने के कारण अभियोजन पक्ष के द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजात को प्रदर्शित नहीं करवाया जा सका है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया गया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

32– उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त महावीर के विरूद्ध धारा 504/34, 307/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323/34, 341/34, 325/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में सफल रहा है।

– **आ दे श** –

33– अतः **अभियुक्त महावीर** पुत्र स्वर्गीय गोपाल आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम राममालिया, पुलिस थाना भिनाय, जिला–अजमेर (राज.) को अपराध आरोप अन्तर्गत धारा 307/34, 504/34 भा.दं.सं. हेतु सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जाता है तथा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323/34, 341/34, 325/34 भा.दं.सं. हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

विचारणीय बिन्दु संख्या–2

34– सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2021 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

35– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त को विधि में विहित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

36– सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2021 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त की आयु व अपराध की प्रकृति के मद्देनजर अभियुक्त के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाया जाकर अभियुक्त को तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– **द ण् डा दे श** –

37– अतः **अभियुक्त महावीर** पुत्र स्वर्गीय गोपाल आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम

राममालिया, पुलिस थाना भिनाय, जिला—अजमेर (राज.) को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323/34, 341/34, 325/34 भा.दं.सं. में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त 10,000/—रूपए राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष के लिए न्यायालय के समक्ष पेश कर इस आशय के तस्दीक करावे कि—

(1) वह दौराने परिवीक्षा शांति व सदाचार बनाए रखेगा,

(2) अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा

(3) न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा पाने के लिए उपस्थित रहेगा तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

38— अभियुक्त महावीर द्वारा नियमित हाजरी बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत, मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

39— प्रकरण में जब्तशुदा लकडियां (फर्द जब्ती अनुसार) बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट की जावें।

40— आहत कानाराम के कारित चोटों की प्रकृति के मद्देनजर धारा 357 एदं.प्र.सं./386 बी.एन.एस.एस. के तहत Victim compensation Scheme एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को अनुशंसा नहीं की जाती है।

41— प्रकरण में सह अभियुक्त भागचन्द की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या—1, केकड़ी, जिला अजमेर.

39— निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 29—06—2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN
Steno Gr-I "Authenticate Document"
Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.07.01 09:57:23 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या—1, केकड़ी, जिला अजमेर.